हर हाल में समयसीमा में दें सूचना

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के जरिए लोगों को तय समयसीमा में जानकारी नहीं मिलती है। इससे संबंधित सैकड़ों शिकायतें सरकार को मिलती रहती है। ऐसी शिकायतें सरकारी कार्यालयों से भी काफी संख्या में मिलती है। तय समयसीमा के अंदर हर हाल में सूचना देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र की प्रति सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्ष, तमाम प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारियों को भेजी गई है।

इस पत्र में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के स्तर पर ही अपील मामलों को निष्पादित करने की बात कही गई है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-6 (1) के अनुसार, लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट या सूचना नहीं देने पर कोई व्यक्ति 30 दिनों में अपील कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश की प्राप्ति तिथि से 90 दिनों के अंदर सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकते हैं। पत्र में कहा गया है कि सूचना आयोग में द्वितीय अपील के तहत सीधे दायर किए अधिकांश वैसे मामले ही आते हैं, जिनका प्रथम अपील के दौरान जवाब नहीं मिला होता है। द्वितीय अपील नियमानुसार सही नहीं है। इससे अपील करने वालों को परेशानी के साथ-साथ आर्थिक कठिनाई भी उठानी पड़ती है। सूचना आयोग में नियम के प्रतिकूल दायर द्वितीय अपीलों को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार के तहत ही निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध करा देना चाहिए।

आरटीआई

- सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया पत्र
- कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के स्तर पर ही मामलों को करें निष्पादित